वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

विज्ञापन क्रमांक ..../राजस्व/भोविप्रा/24 भोपाल,दिनांक........................2024

नियत मूल्य पर विक्रय हेतु ऑनलाईन आमंत्रण

भोपाल विकास प्राधिकरण की घरौंदा बर्रई (गौरीशंकर कौशल आवासीय) योजना में सर्व सुविधायुक्त पार्किंग एवं लिफ्ट सुविधा के साथ 1बीएचके एवं 2बीएचके आवासीय प्रकोष्ठो का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाईट **htttps://vikaspradhiaran.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन दि0 29-7-24 से दि0 12-8-24 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन दि0 .... को खोले जायेगे। रिक्त प्रकोष्ठों के संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्रकोष्ठों का आवंटन सुनिश्चित किया जावेगा।

निम्न सम्पत्ति का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट **www.BDA.org.in** पर देखा जा सकता है।

क्र0	योजना का नाम	प्रकोष्ठों/ईकाईयों का विवरण तथा संख्या	क्षैत्रफल वर्गफुट कारपेट एरिया	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये प्रकोष्ठों/ईकाईयों की संख्या	प्राधिकरण द्वारा नियम कीमत रूपये प्रति प्रकोष्ठ (अनुमानित)	रजिस्ट्रीकरण प्रभार (पंजीयन राशि) रूपये	वार्षिक पट्टा भाडा (भू-भाटक) रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8
	घरौंदा बर्रई	1 बीएचके 01 प्रकोष्ठ	29.63 वर्गमीटर (318.81वर्गफुट)	अनारक्षित	5,00,000/-	50,000/-	22/-
		2 बीएचके 04 प्रकोष्ठ	43.45 वर्गमीट (467.52 वर्गफुट)	अनारक्षित	10,00,000/-	1,00,000/-	30/-

नोटः-जारी किये जाने वाली विज्ञापन की शर्ते निम्नानुसार है:-

1-प्रकोष्ठों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है।

2--प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्ते संलग्न रहेगी, आवेदन में उल्लेखित शर्तो का पालन आवेदक को करना अनिवार्य होगा।

3-1 बीएचके हेतु 3.00 लाख एवं 2 बीएचके हेतु 6.00 लाख तक वार्षिक आय संबंधी स्वयं का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4-उपरोक्त प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेश के अनुसार देय होगी।

5-निर्धारित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयनकर्ता का चयन पद्धति के उपरांत प्रकोष्ठ आवंटन किया जावेगा। जिसकी सूचना समाचार पत्र में पृथक से दी जावेगी। लाटरी में असफल होने की स्थिति में पंजीयन राशि की वापसी की कार्यवाही लाटरी के एक माह पश्चात् प्रारम्भ की जावेगी, जो कि पंजीयनकर्ता द्वारा आवेदन में दिये गये बैक अकाउंट में सीधे जमा की जावेगी।

6–प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्ते पंजीयनकर्ताओं / आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

7–आवंटन उपरांत शेष राशि एक मुश्त दो माह के अंदर देय होगी।

8–निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर नियमानुसार विलम्ब अवधि पर ब्याज जमा कराना होगा एवं समस्त जमा राशियों पर जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा।

9–अधिक जानकारी के लिये हमारी बेबसाईट **www.BDA.org.in** पर लॉगऑन करें।

10–ऑन लाईन पंजीयनकर्ता अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र, संबंधित नियम शर्ते, शपथ पत्र आय प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज पंजीयन दिनांक से 7 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया पंजीयन अमान्य किया जावेगा।

11–प्रकोष्ठों का स्थल पर निरीक्षण कर आवेदन प्रस्तुत करें।

सम्पदा अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल।

पृ. क्रमांक ..../ राजस्व / भोविप्रा / 24 भोपाल, दिनांक........................2024

प्रतिलिपिः–

1–सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरणी भोपाल को विज्ञापन हेतु।

2–प्रभारी आई0टी0शाखा,भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचनार्थ।

सम्पदा अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल।

AF raheman sir